

# सरवाड़ डाई नदी क्षेत्र में बजरी खनन विवाद गहराया, लीजधारक बेबस

सरकारी नियमों के तहत लीजधारक द्वारा करीब 54 लाख 47 हजार 245 रुपए की राशि जमा कराई जा चुकी है

सरवाड़ (निर्स)। क्षेत्र की डाई नदी में बजरी खनन को लेकर वर्षों पुराना विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है वहीं वर्ष 2012 में पंकज सिंह जादौन के नाम से इस क्षेत्र में खनन लीज स्वीकृत हुई थी लेकिन उसी दौरान मामला सुप्रीम कोर्ट में विचारधीन हो गया वहीं बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बजरी खनन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए जिसके बाद वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए खनन का मार्ग प्रशस्त हुआ वहीं बताया जा रहा है कि 30 मार्च 2023 को पंकज सिंह जादौन ग्रुप के लोग जब सरवाड़ क्षेत्र में खनन कार्य शुरू करने पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें नदी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया वहीं इस दौरान मारपीट व विवाद की स्थिति भी बनी जबकि सरकारी नियमों के तहत लीजधारक द्वारा करीब 54 लाख 47 हजार 245 रुपए की राशि जमा कराई जा चुकी है और सरकार द्वारा 433 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन लीज स्वीकृत की गई है।



सरवाड़ क्षेत्र की डाई नदी में बजरी खनन को लेकर वर्षों पुराना विवाद अब भी गहरा रहा है।

बीधा नदी क्षेत्र में लीज स्वीकृत है लेकिन यहां भी रॉयल्टी संचालक को बजरी निकालने नहीं दिया जा रहा वहीं संचालक वर्षों से तुलाई के लिए कांटा वजन मशीन लगाने का प्रयास कर रहा है वहीं लेकिन प्रशासनिक अन्देखी के चलते यह संभव नहीं हो पाया वहीं क्षेत्र में हालात ऐसे हैं कि वैध लीजधारक

खनन नहीं कर पा रहा जबकि अवैध खनन करने वाले माफिया खुलेआम सक्रिय हैं।

वहीं खिरिया गोयला अरबड़ जवाला सहित पूरे इलाके में दिन-रात जेसीबी और ट्रैक्टरों के जरिए बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है वहीं सूत्रों के अनुसार अवैध खनन करने वाले लोग

सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए बजरी का स्टॉक सरकारी भूमि पर ही जमा कर रहे हैं ताकि कानूनी शिकंजे से बच सकें वहीं हैरानी की बात यह है कि यह सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं वहीं रॉयल्टी संचालक पिछले चार वर्षों से तहसीलदार थानेदार उपखंड

अधिकारी से लेकर जिला कलेक्टर तक जापन दे चुका है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई लगातार शिकायतों के बावजूद अवैध खनन पर रोक नहीं लगना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है वहीं क्षेत्र में भय का माहौल अवैध बजरी माफिया के बढ़ते प्रभाव के चलते पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है वहीं स्थानीय लोग खुलकर विरोध करने से कतराते हैं वहीं वैध लीजधारक भी खुद को असहाय महसूस कर रहा है वहीं जब सरकार को लाखों रुपये की राजस्व शिफा जमा हो चुकी है और लीज वैध रूप से स्वीकृत है तो आखिर वैध खनन क्यों बाधित है और अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सरवाड़ डाई नदी क्षेत्र में बजरी खनन को लेकर स्थिति विस्फोटक बनी हुई है यदि समय रहते प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो यह विवाद और गहरा सकता है जरूरत है पारदर्शी कार्रवाई और वैध लीजधारकों को संरक्षण देने की ताकि सरकारी राजस्व की भी रक्षा हो सके और अवैध खनन पर लगाम लग सके।

## पाठ्यपुस्तकें हटाने पर डोटासरा ने सरकार को घेरा

जयपुर (हि.स.)। राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9 से 12 तक की चार पुस्तकों को पाठ्यक्रम से हटाने के निर्णय पर सियासी विवाद गहरा गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस फैसले को इतिहास पर सीधा हमला बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने कहा कि कक्षा 9 की 'राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा', कक्षा 10 की 'राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति', कक्षा 11 की 'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत' तथा कक्षा 12 की 'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2' को हटाने नई पीढ़ी को अधूरा इतिहास पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पुस्तकों में स्वतंत्रता संग्राम, देश निर्माण और विभिन्न नेताओं के योगदान का उल्लेख

है, जिसे हटाना इतिहास को मिटाने जैसा है। डोटासरा ने कहा कि यदि पुस्तकों में कोई त्रुटि थी तो उसमें संशोधन किया जा सकता था, लेकिन उन्हें पूरी तरह हटाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन पुस्तकों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह सहित कई नेताओं के योगदान, साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन है। डोटासरा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि इससे पहले भी आदिवासी वीरों और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से जुड़े विषयों को पाठ्यक्रम से हटाया गया था और अब स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद के भारत के स्वर्णिम दौर को भी हटाया जा रहा है।

## राजस्थान बोर्ड का बड़ा फैसला: कक्षा 9 से 12 तक की चार पुस्तकें सिलेबस से हटाई

जयपुर (हि.स.)। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की सिफारिश पर राज्य सरकार ने कक्षा 9 से बारह तक की चार महत्वपूर्ण पुस्तकों को सिलेबस से हटा दिया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन पुस्तकों का न तो अध्ययन कराया जाएगा और न ही इनका निशुल्क वितरण किया जाएगा।

इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के समाज शिक्षा विभाग ने गुरुवार दोपहर आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाए। समाज शिक्षा के उप निदेशक अशोक कुमार पारीक ने बताया

कि इन पुस्तकों को हटाने का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा भेजा गया था। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के 11 अप्रैल के पत्र और समग्र शिक्षा के पूर्व आदेशों के आधार पर यह निर्णय किया है। नई व्यवस्था के तहत ये पुस्तकें अब पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रहेंगी। इनमें कक्षा 9 की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं धरोहर, कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 11 की आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत - भाग 1 और कक्षा 12 की आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत - भाग 2 शामिल हैं। ये सभी पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में

थीं। निदेशालय ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इन पुस्तकों का अध्ययन किसी भी विद्यालय में नहीं कराया जाए। राजस्थान में कक्षा आठ तक का पाठ्यक्रम राजस्थान शैक्षणिक अनुसंधान परिषद द्वारा तय किया जाता है, जबकि कक्षा 9 से 12 तक का सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर निर्धारित करता है। इनकी सिफारिशों के आधार पर जयपुर स्थित पाठ्यपुस्तक मंडल पुस्तकों का प्रकाशन करता है।

## ट्रेन की चपेट में आने से 21 वर्षीय युवक की मौत

निवाड़ी । झिलाया रोड पर स्थित कुंज बिहारी आश्रम के समीप रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौत हो गई। थानाधिकारी घासीराम मीणा ने बताया कि गौरव उर्फ गौर (21) पुत्र शिवदयाल जांगिड़ निवासी खंडवा गुरुवार को सुबह करीब साढ़े 10 बजे कुंज बिहारी आश्रम के समीप रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान वह जबलपुर-जयपुर वाली इन्टरसिटी ट्रेन की चपेट में आ गया। जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। गौरव राजकीय विद्यालय में फुटबॉल खेलते थे। उनके परिवार में एक छोटा भाई था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिवारों के सुपुर्द कर दिया।



गौरव

और 108 पंखुलेंस की मदद से मृतक के क्षतविक्षत शव को उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिवारों के सुपुर्द कर दिया।

## अवैध शराब से भरी कार जब्त

उदयपुर, (कासं)। खेरवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरी कार जब्त कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया।

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, पुलिस उप अधीक्षक राजीव राहट के सुपरविजन में खेरवाड़ा थानाधिकारी करनाराम जाट मय टीम ने नाकबन्दी के दौरान मुखबरी से मिली सूचना के आधार पर कार को रोक तलाशी ली तो उसमें डेढ़ लाख रुपये की अवैध शराब के 10 कार्टन मिले। इस पर कार सहित शराब जब्त कर चालक शेख अब्दुल रहमान पुत्र शेख अब्दुल कादर निवासी जुहापुरा वेजलपुर अहमदाबाद गुजरात, साथी सतीश पुत्र रमेश निवासी बडला निचला फला खेरवाड़ा, रोहित पुत्र हाजाराण निवासी बडला निचला फला खेरवाड़ा को गिरफ्तार किया।

## खेत में मिला जंग लगा हैंड ग्रेनेड, 10 मीटर तक तबाही की आशंका से दहशत

झुंझुनू (निर्स)। झुंझुनू जिले के बिसाऊ थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कण मच गया जब गेहूं की कटाई के दौरान खेत में एक जंग लगा पुराना हैंड ग्रेनेड मिला। करीब डेढ़ किलो वजनी इस विस्फोटक को देखकर किसान परिवार और मजदूरों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया। घटना जीवण का बास गांव के चौधू रोड स्थित खेत की है, जहां किसान नूरु खां चायल के खेत में वर्तमान में सिकंदर अली गांगियासर खेती कर रहा है। गुरुवार को जब मजदूर गेहूं की फुलियां इकट्ठी कर रहे थे, तभी एक पूली के नीचे धातु की संदिग्ध वस्तु नजर आई। पास जाकर देखने पर वह हैंड ग्रेनेड निकला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मजदूर ने जैसे ही वस्तु देखी, उसमें तुरंत काम रोककर आसपास के लोगों को बुलाया। किसान सिकंदर अली ने बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत



बिसाऊ पुलिस को सूचना दी गई, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। पुलिस ने किया क्षेत्र सील, लोगों को हटाया: सूचना पर बिसाऊ थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हैंड कॉन्स्टेबल महेंद्र, कॉन्स्टेबल महेंद्र सिंह, धनराज, नरेंद्र और चालक विजय सिंह ने तत्काल खेत और आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। ग्रामीणों और पशुओं को घटनास्थल से दूर रहने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने एहतियात के तौर पर बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया है, ताकि ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया जा सके। मौके पर पहुंचे रिटायर्ड फौजी

## हत्या के प्रयास का 37 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

झुंझुनू, (निर्स)। धंबोला थाना पुलिस ने 37 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी जिला पुलिस की टॉप-10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल था और उसकी गिरफ्तारी पर 1 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी लुट और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित था। धंबोला थाना अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी भूरा उर्फ भूराका पुत्र पुना डामोर मीणा निवासी पलासडोर, थाना काकनवाणी, जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) है। आरोपी वर्ष 1989 के एक मामले में झुंझुनू

जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा जारी स्थायी वारंट में वांछित था। उस पर लुट और हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है।

लंबे समय से फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भूरा उर्फ भूराका को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी पर एक हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस मुखबिर तंत्र के माध्यम से उसकी पड़ताल कर रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस सदा कपडों में मौके

पर पहुंची और आरोपी को मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, जब टीम आरोपी को घर पहुंची तो उसने पुलिस को देखकर डरकर गलत नाम और पता बताया।

हालांकि, सटीक मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जिले में लंबे समय से फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

## सरकारी स्कूल से गेट चोरी के आरोपी गिरफ्तार

कोटपुतली। निकटवर्ती सरुण्ड थाना पुलिस ने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा से गेट चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया व लोहे का गेट बरामद किया है। थानाधिकारी यशपाल सिंह ने बताया कि गेट 13 अप्रैल को परिवार की अशोक कुमार सुरेला (51) पुत्र जगदीश प्रसाद मेघवाल निवासी रायकरणपुरा थाना पनियाला हाल प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा ने दर्ज कराया कि अज्ञात चोर अवकाश के दिनों में सरकारी स्कूल में लगे लोहे के गेट को काटकर चोरी कर ले गये हैं। उक्त चोरी की वारदात का खुलासा करने हेतु थानाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर चोरी में संलिप्त आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम द्वारा लगातार आरोपियों की तलाश हेतु आसूचना एकरिज कर आरोपियों के मिलने वाले संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई। बुधवार को संभावित स्थान ग्राम मोहनपुरा से आरोपी त्रिलोक (20) सचिन (19) दोनों निवासी मोहनपुरा, योगेश सुरेला (26) पुत्र श्याम लाल योगी निवासी जोधपुरा व विक्की (23) पुत्र सुन्दर लुहार निवासी बानसुर हाल पाटन को डिटैन कर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया। चोरी किये गये लोहे के गेट को आरोपियों की निशानदेही से बरामद किया गया। चोरी के आरोपियों से अन्य चोरी की घटनाओं में संलिप्तता व अन्य आरोपियों के सम्बन्ध में गहनता से पुछताछ की जा रही है।

## कार की टक्कर से 55 वर्षीय महिला की मौत

निवाड़ी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी चोराहे पर सड़क पार करने के दौरान एक महिला के कार ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। बरौनी थानाधिकारी सुश्री कुसुम ने बताया कि मनभर देवी (55) पत्नी जगदीश जाट निवासी पहाड़ी अपनी पुत्री को जयपुर जाने वाली बस में बैठाने आई थी। अपनी पुत्री निकिता को बस में बैठाकर वह सड़क क्रॉस कर रही थी। उसी दौरान तेजावत से आ रही कार ने उसके टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। कार चालक मौके से कार को लेकर फरार हो गया। सूचना पर बरौनी थाना पुलिस मय जापने के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मृतका का शव



मनभर देवी

कब्जे में लेकर निवाड़ी उप जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिवारों के सुपुर्द कर दिया। मृतक महिला के तीन पुत्रियां हैं।

**कार्यालय नगरपालिका मण्डल, केकड़ी (अजमेर) राज.**  
 Email ID - npeke@2011@gmail.com (0) : 01467-22002, 22019 web site : www.urban.rajasthan.gov.in/npeke  
 क्रमांक : न.पा.के./मानव संसाधन/2026-27/156 दिनांक : 10/04/2026  
 -- ई निविदा सूचना (04/2026-27)(NIB NUMBER - DLB2627A00445) --  
 एल्ट द्वारा है कि राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत पंजीकृत एनजीओ/संस्था/कर्म/अपरायर्स से निर्धारित प्रयत्न में ई प्रोप्रायोरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धित अधिक जानकारी वेबसाइट [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर भी उपलब्ध है व यदि किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में आकर देखी जा सकती है।  
 UBN No. 1/ DLB2627SRR001355  
 अतिरिक्त अधिकारी नगरपालिका केकड़ी

**अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर**  
 Website : [www.rajasthan.gov.in/ada](http://www.rajasthan.gov.in/ada), Tel.No. : 0145-2627748-2627749  
 क्रमांक - अ.वि.का./12/काकाकी/2026-27/काकाकी 21544817 दिनांक - 13/04/2026  
 ई-निविदा सूचना संख्या 01/2026-27  
 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की ओर से विभिन्न कार्यों की अनुमानित लागत राशि 986.32 लाख की ई-निविदा आम संख्या (1-2) दिनांक 07.05.2026 सायं 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट (<http://eproc.rajasthan.gov.in>) एवं (<http://sppp.raj.nic.in>) पर देखा जा सकता है।  
 UBN : A/JD2627WLB000004, A/JD2627SLOB000005  
 एल.एच.एल/टी/26/1919 अतिरिक्त अधिकारी

**कार्यालय नगरपालिका रतननगर (चूरू)**  
 फोन नं. : 01562.294114 ई-मेल - [mun\\_rnagar@yashoo.in](mailto:mun_rnagar@yashoo.in)  
 क्रमांक : 102 दिनांक : 10/04/2026  
 --: कार्यालय आदेश --:  
 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4347-48 दिनांक 19.03.2026 के द्वारा कचरा संग्रहण हेतु टेंडर मय टेंडरी ड्राईवर एच रेव-खाव सहित दर अनुबंध का कार्य जोन नं. 01 (वार्ड नं. 01 से 10) व जोन नं. 02 (वार्ड नं. 11 से 20) कार्य की जारी है-निविदा सूचना सं. 07 (2025-26) परिहराईय कार्यों से निरस्त की जाती है।  
 सूचित रहे।  
 अतिरिक्त अधिकारी नगरपालिका रतननगर(चूरू)

**कार्यालय अधीक्षण अजयन्ता एवं परियोजना प्रबंधक वाटरटेड सेल कज अड सेंटर जिला परिषद जालोर**  
 क्रमांक - एक (1)/सि/का/2026-27/70-85 दिनांक - 10/04/2026

NOTICE INVITING BID NIT No. 01-16/2026-27			
Bids for NRM Works Under MISA-2.2 and PMSKY project area in Sayla, Jaswantpura, Sarnau, Chitalwana, Jalore, Ranivara, Sanchoe, and Bhnimal of estimated Value INR 809.32 Lacs are invited from interested bidders Up to 3.00 PM 20-04-2026. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal of the state.			
NIT No.	Work Name & Block	NIB No.	UBN No.
NIT-01/2025-26	BLOCK SAYALA MISA 2 FARM POND AND ROOP TOP TANKA	WSC2627A0048	WSC2627WSRC00072
MISA 2.2			
NIT-02/2025-26	BLOCK JASWANTPURA MISA 2 TANKA AND FARM POND NIRMAN	WSC2627A0049	WSC2627WSRC00073
MISA 2.2			
NIT-03/2025-26	BLOCK SARNAU MISA 2 FARM POND AND ROOP TOP TANKA NIRMAN	WSC2627A0050	WSC2627WSRC00074
MISA 2.2			
NIT-04/2025-26	BLOCK CHITALWANA MISA 2 FARM POND AND TANKA NIRMAN	WSC2627A0051	WSC2627WSRC00075
MISA 2.2			
NIT-05/2025-26	BLOCK JALORE MISA 2 NADI, SUNKUN POND, KHADEEN, TANKA, ROOP TOP TANKA AND FARM POND NIRMAN	WSC2627A0052	WSC2627WSRC00076
MISA 2.2			
NIT-06/2025-26	BLOCK JALORE MISA 2 KHADEEN, TANKA, ROOP TOP TANKA AND FARM POND NIRMAN	WSC2627A0053	WSC2627WSRC00077
MISA 2.2			
NIT-07/2025-26	BLOCK RANIVARA TANKA NIRMAN	WSC2627A0057	WSC2627WSRC00080
MISA 2.2			
NIT-08/2025-26	BLOCK RANIVARA ROOPTOP TANKA, FARM POND AND KHADEEN NIRMAN	WSC2627A0058	WSC2627WSRC00081
MISA 2.2			
NIT-09/2025-26	BLOCK SANCHOE ROOPTOP TANKA	WSC2627A0059	WSC2627WSRC00082
MISA 2.2			
NIT-10/2025-26	BLOCK SANCHOE ROOPTOP TANKA AND FARM POND	WSC2627A0060	WSC2627WSRC00083
MISA 2.2			
NIT-11/2025-26	BLOCK SANCHOE FARM POND NIRMAN	WSC2627A0061	WSC2627WSRC00084
MISA 2.2			
NIT-12/2025-26	BLOCK CHITALWANA FARM POND AND TANKA	WSC2627A0062	WSC2627WSRC00085
MISA 2.2			
NIT-13/2025-26	BLOCK BHNIMAL ROOPTOP TANKA AND FARM POND NIRMAN	WSC2627A0063	WSC2627WSRC00086
MISA 2.2			
NIT-14/2025-26	BLOCK BHNIMAL ROOPTOP TANKA AND FARM POND NIRMAN	WSC2627A0064	WSC2627WSRC00087
MISA 2.2			
NIT-15/2025-26	BLOCK BHNIMAL ROOP TOP TANKA AND FARM POND NIRMAN	WSC2627A0066	WSC2627WSRC00088
MISA 2.2			
NIT-16/2025-26	BLOCK SANCHOE SUPPLY KHAIJUR SET	WSC2627A0067	WSC2627GSR00089
PMSKY 2.0			

Raj.Samwad/C/26/922 SE & PMWCDC, ZILA PARISHAD, JALORE

# नादोती एसडीएम सहित तीन कार्मिक 60 हजार की रिश्वत लेते पकड़े

आरोपियों के कब्जे से 4 लाख की संदिग्ध राशि भी जब्त

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की सवाई माधोपुर इकाई ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए करौली जिले के नादोती उपखंड में एसडीएम सहित तीन कार्मिकों को 60 हजार रुपए की रिश्वत लेते रहे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान 4 लाख रुपए की संदिग्ध राशि भी बरामद की गई है। एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि उपखंड अधिकारी (एसडीएम) सुश्री काजल मीना, उनके रीडर दिनेश कुमार सैनी और वरिष्ठ सहायक प्रबन्धी धाकड़ को ट्रैप कार्रवाई में डिटैन किया गया है। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने परिवारी से उसकी भूमि की फाइल डिक्री जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने पहले एक लाख रुपए की मांग की थी और बाद में 50 हजार रुपए में



सौदा तय हुआ। सत्यापन के दौरान रीडर दिनेश सैनी ने एसडीएम के लिए 50 हजार रुपए और अपने लिए 10 हजार रुपए की मांग की पुष्टि की। एसीबी टीम ने योजना के तहत



परिवारी को उपखंड कार्यालय नादोती बुलावाया, जहां रिश्वत की राशि 60 हजार रुपए ली गई। यह राशि रीडर दिनेश सैनी द्वारा लेकर वरिष्ठ सहायक प्रबन्धी धाकड़ को दे दी गई। इसी दौरान एसीबी टीम



ने मौके पर दोबारा देकर तीनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान प्रबन्धी धाकड़ के बैग से 60 हजार रुपए की रिश्वत राशि के साथ 4 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी भी बरामद हुई है। इस

उन्होंने परिवारी से उसकी भूमि की फाइल डिक्री जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी अतिरिक्त राशि के संबंध में आरोपियों से पुछताछ की जा रही है। यह पूरी कार्रवाई एसीबी के उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में की गई। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक रिम्ता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस. परिमला के निर्देशन में मामले की जांच जारी है। एसीबी ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।